न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2169–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.8.06 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 99/05–06 निगरानी ।

1– सरोजा बाई वेबा नाथूसिंह

2– हाकिमसिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह

निवासी ग्राम कैरोरा तहसील मेहगांव

जिला भिण्ड म0प्र0

3– गुडड़ी बाई पुत्री नाथूसिंह पत्नी

श्यामसिंह निवासी नई आवादी धरमपुरी

मोहल्ला जिला भिण्ड म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

भूरीबाई पत्नी प्रीतम सिंह

निवासी ग्राम सरसेड तहसील

मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0 ——— अनावेदिका

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड)

(अनावेदिका की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 10 –. 2015 को पारित

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 99/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.8.06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदिका ने ग्राम कैरोरा तहसील मेहंगाव में स्थित विवादित भूमि कुल किता 10 रकवा 5.88 है0 में से रकवा 4.83 है0 भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी अनुरूद्र सिंह थे । अभिलिखित भूमिस्वामी अनिरूद्र सिंह द्वारा विवादित भूमि को रजिस्ट्र्ड विकय पत्र द्वारा अनावेदिका भूरीबाई के हक में विकय की गई । विकय पत्र के आधार पर अनावेदिका भूरीबाई ने तहसील न्यायायलय में नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार मेहंगाव द्वारा प्रकरण कमांक 43/99–2000/अ–6 पर दर्ज किया गया । तहसीलदार मेहंगाव द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 5.1.2002 द्वारा रजिस्ट्र विकय पत्र के आधार पर अनिरूद्र सिंह के स्थान पर केता भूरीबाई के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार मेंहगांव के आदेश दिनांक 5. 1.2002 से दुखी होकर आवेदक अनिरूद्र सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो प्र0क0 45/2000–2001 में दर्ज किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 29.6.2002 द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मेंहगांव को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित कर दिया गया कि आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जावे । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.6.2002 से परिवेदित होकर अनावेदिका भूरीबाई ने अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई उनके द्वारा विचारणीय न्यायालय का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव का आदेश यथावत रखा । अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश

से दुखी होकर अनावेदिका ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क0 99/2005–2006 दर्ज होकर उसमें पारित आदेश दिनांक 24.8.2006 द्वारा निगरानी स्वीकार की गई इसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उन्हें विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है और जो अनुविभागीय अधिकारी मेहंगाव एवं अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह सही है उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार न्यायालय में उनके द्वारा मूल विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता और तहसीलदार द्वारा इश्तहार भी जारी नहीं किया गया है और स्टाम्प शुल्क भी पूरा आदा नहीं किया है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है ।

5– अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब आवेदक एक बार प्रकरण में उपस्थित हो चुका है तो उसी समय साक्ष्य का अवसर मिला है यह तर्क मानने योग्य नहीं है । आवेदक आपत्तिकर्ता द्वारा विधिवत पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है तथा मौके पर आवेदिका का कब्जा प्राप्त किया है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है उसे निरस्त नहीं किया जा सकता ।

6– मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं निगरानी मेमों में लिये गये तथ्यों तथा अधिनस्थ न्यायालयों से प्राप्त अभिलेखों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क सही है कि रजिस्ट्री पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है अनुविभागीय अधिकारी मेहंगाव को उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था, बल्कि व्यथित पक्षकार को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रदद् कराने के लिये सिविल न्यायालय से उपचार प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिये था । यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर पर बंधनकारी है । माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.10.98 में स्पष्ट लिखा है कि आवेदिका सरजोबाई अपने हिस्से 1/6 भाग की अधिकारणी है, जिसे छोडकर शेष भूमि का विक्रय करने के लिये आवेदक अनिरूद्ध सिंह को अधिकार है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.2004 एवं अनुविभागीय अधिकारी मेहंगाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2002 नियमों, न्यायप्रक्रिया एवं माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किये जाते हैं और तहसीलदार मेंहगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.1.2002 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 24.8.2006 में हस्तक्षेप करने की आवश्कता नहीं है, यह आदेश यथावत रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर